उत्तर प्रदेश में अनुसूचित रोजगारों पर लागू मजदूरी भुगतान प्रक्रिया नियम, 1963

श्रम विभाग का अंग्रेजी अनुवाद, अधिसूचना संख्या 11844 (HI)/XXXVI–C–1202 (SM)–60 दिनांक 30 जनवरी, 1965, उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र, भाग I–।, दिनांक 13 फरवरी, 1965, पृष्ठ 332 में प्रकाशित।

मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (अधिनियम संख्या IV ऑफ 1936) की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी अधिसूचना संख्या 3688 (LL)/XXXVI–B–450 (LL)–54, दिनांक 25 जुलाई, 1962 के साथ पठित, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाने की कृपा करते हैं, जिन्हें उक्त धारा की उपधारा (5) के अनुसार अधिसूचना संख्या 1551 (SM)/XXXVI–A–1202 (SM)–60, दिनांक 22 जून, 1963 के साथ पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात:

नियम

(1) इन नियमों को उत्तर प्रदेश वेतन भुगतान (प्रक्रिया) अनुसूचित रोजगारों पर लागू नियम, 1963 कहा जा सकता है।

(2) उत्तर प्रदेश वेतन भुगतान (प्रक्रिया) नियम, 1958, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11 ऑफ 1948) की अनुसूचियों में उल्लिखित अनुसूचीबद्ध रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों को देय मजदूरी में कटौती या भुगतान में देरी से उत्पन्न दावों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (अधिनियम संख्या IV, 1936) के तहत वेतन में कटौती या देय मजदूरी के भुगतान में देरी से उत्पन्न दावों के संबंध में लागू होते हैं।

क्रमांक 2458–डब्ल्यूआईसी–III, दिनांक कानपुर, 22 अप्रैल, 1937A मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 8 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश मजदूरी भुगतान नियम, 1936 के नियम 9 के साथ पढ़ा जाए, तो जुर्माने से प्राप्त आय को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की स्वीकृति दी जाती है, बशर्ते कि यह निःशुल्क प्रदान की जाए:

(1) औषधियाँ।

(2) चिकित्सा ध्यान।

(3) आवास आवास.

(4) शिक्षा सुविधाएँ।

(5) मनोरंजन सुविधाएं।

IndiaCode

(6) कोई अन्य कल्याणकारी कार्य जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किया जा सकता है।

बशर्ते कि जुर्माने से प्राप्त धनराशि का उपयोग कारखाना अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश कारखाना नियमों के क्रमशः नियम 23 और 73 द्वारा निर्धारित प्राथमिक चिकित्सा उपकरण और तंग फिटिंग वाले वस्त्र शामिल हैं।

क्रमांक 2459.डब्ल्यू/सी–III, दिनांक कानपुर, 22 अप्रैल, 1937.– वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश वेतन भुगतान नियम, 1936 के नियम 9 के साथ पढ़ा जाए, तो उत्तर प्रदेश में कारखानों में कार्यरत व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने योग्य कृत्यों और चूकों की निम्नलिखित सूची को उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) से (7) द्वारा निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अधीन अनुमोदित किया जाता है:

कृत्यों और चूकों की सूची

(1) बिना छुट्टी लिए और पर्याप्त कारण के बिना ड्यूटी से देर से आना और अनुपस्थित रहना।

(2) किसी कर्मचारी द्वारा लापरवाही, असावधानीपूर्ण आचरण या जानबूझकर किए गए विनाश के कारण नियोक्ता के माल और संपत्ति को हुई क्षति।

(3) अवज्ञा, बहानेबाजी, जानबूझकर उत्पादन में देरी और आदेशों की अवज्ञा।

(4) प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए तंग फिटिंग वाले कपड़े पहनने में विफलता या सुरक्षा निर्देशों का पालन न करना, मशीनरी गार्ड, बाड़ और अन्य सुरक्षा उपकरणों को अनधिकृत रूप से हटाना या नुकसान पहुंचाना।

(5) किसी कर्मचारी द्वारा ऐसा आचरण जिससे शांति भंग होने की संभावना हो और ऐसा आचरण जिससे कारखाने में अन्य व्यक्तियों के जीवन या सुरक्षा को खतरा हो।

(6) कारखाने के परिसर में थूकना या अन्यथा उपद्रव करना।

(7) किसी विभाग के रखरखाव और संचालन तथा उसकी स्वच्छता बनाए रखने के लिए किसी नियम या निर्देशों का उल्लंघन।

(8) चोरी, धोखाधड़ी या बेईमानी।

(9) ड्यूटी पर सोना और निषिद्ध स्थानों में धूम्रपान करना।

IndiaCode

क्रमांक 2070 (2)/VXIII–411 (L) दिनांक 15 अगस्त, 1939.– वेतन भुगतान अधिनियम (IV ऑफ 1936) की धारा 14 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त को पूरे राज्य के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षक नियुक्त किया है।

क्रमांक यू–654 (एल)/XVIII–292 (एल)–42, दिनांक 22 सितंबर, 1942.– वेतन भुगतान अधिनियम (IV ऑफ 1936) की धारा 7 की उपधारा 2 के खंड (ई) और धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि किसी कारखाने के प्रबंधन द्वारा संचालित अनाज की दुकान या भंडार से अपने कर्मचारियों को अनाज की आपूर्ति एक ऐसी सुविधा है जिसके लिए उस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी नियोजित व्यक्ति के वेतन से कटौती की जा सकती है, इस शर्त के अधीन कि अनाज नियोजित व्यक्ति को उसकी अपनी इच्छा से आपूर्ति की जाती है, और किसी भी नियोजित व्यक्ति के मासिक वेतन से की गई कटौती किसी भी एक महीने में उसके 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

क्रमांक 3836 (एल)/XVIII–305 (एल)–45, दिनांक 9 नवंबर, 1946A वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (IV ऑफ 1936) की धारा 14 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल राज्य श्रम विभाग के सभी सुलह अधिकारियों को राज्य भर में अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त करते हैं।

क्रमांक 722 (एल)/XVIII–465 (एल)–46, दिनांक 3 अप्रैल, 1947A वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का चतुर्थ संस्करण) की धारा 1 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने ऐसा करने के अपने इरादे की पूर्व सूचना देते हुए, उत्तर प्रदेश में उन सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी वर्गों के व्यक्तियों पर वेतन भुगतान अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया है, जो कारखाना अधिनियम, 1934 (1934 का XXV संस्करण) की धारा 5 के अंतर्गत कारखानों के रूप में पंजीकृत हैं।

क्रमांक 3148 (एलएल)/XXXVI (बी)–113 (एलएल)–51, दिनांक 18 फरवरी, 1954A सरकारी अधिसूचना क्रमांक 3844/XVI–625, दिनांक 22 दिसंबर, 1936 को निरस्त करते हुए और वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (अधिनियम क्रमांक IV ऑफ 1936) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सभी जिला मजिस्ट्रेटों, उप–विभागीय मजिस्ट्रेटों और नगर मजिस्ट्रेटों को उनके अधिकार क्षेत्र में नियोजित या वेतनभोगी व्यक्तियों के वेतन से कटौती या वेतन भुगतान में देरी से उत्पन्न सभी दावों की सुनवाई और निर्णय करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

IndiaCode